दुग्ध उत्पादकों के लिए प्रसार एवं प्रशिक्षण की योजना:–

परिचय– इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु गव्य गोष्ठी का आयोजन तथा योजनाओं की जानकारी हेतु लीफलेट, बुकलेट आदि का वितरण कराया जाता है। साथ–साथ दुग्ध उत्पादकों के लिए प्रशिक्षण एवं प्रसार कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम कार्यान्वित किये जाते है :

- दुग्ध उत्पादकों को राज्य के अन्दर गव्य प्रबंधन का अल्प प्रशिक्षण।
- ग्रामीण स्तर पर जागरूकता शिविर व गव्य गोष्ठी का आयोजन।
- गोबर एवं गौमूत्र से खाद तथा कीटनाशक बनाने संबंधी प्रशिक्षण।
- दुग्ध उत्पादकों का राज्य के अन्दर एवं राज्य के बाहर परिदर्शन।
- दुधारू पशुओं का स्वास्थ्य जॉच एवं बांझपन शिविर का आयोजन।
- वर्कशाप व सेमिनार का आयोजन।
- पशु मेला व डेयरी उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन।
- ग्ारमीण क्षेत्रों में प्रचार–प्रसार कार्यक्रम।
- स्वच्छ दुग्ध उत्पादन प्रशिक्षण।
- सूखे चारे का यूरिया उपचार प्रशिक्षण।
- कार्मिकों का प्रशिक्षण एवं क्षमता उन्नयन।
- गोकुल मित्र प्रशिक्षण।
- पारावेट प्रशिक्षण।

पात्रता – प्रशिक्षण हेतु ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों का चयन जिला गव्य विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाता है।

किनसे संपर्क करें – संबंधित जिले के जिला गव्य विकास पदाधिकारी अथवा निकटतम डेयरी पशु विकास केंद्र।

Published on National Portal of India (http://www.india.gov.in)

सुविधाएं – चयनित पशिक्षणाथ्रियों को प्रशिक्षण क्रेंद्र तक आने जाने का वास्तविक किराया एंव प्रशिक्षण अवधि में दैनिक वृत्तिका। साथ ही प्रशिक्षण अवधि में भोजन एंव आवास की नि:शुल्क व्यवस्था।

प्रक्रिया – प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए संबंधित जिले के जिला गव्य विकास पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों का चयन कर राज्य के अन्दर तथा राज्य के बाहर प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है। नामित प्रशिक्षणार्थियों को संबंधित समिति/क्षेत्रों से प्रशिक्षण संस्थान तक जाने आने का वास्तविक भाड़े के साथ साथ प्रशिक्षण अवधि में दैनिक वृत्तिका अथवा भोजन एवं आवास आदि की नि:शुल्क व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है। इसके लिये ग्रामीण दुग्ध उत्पादकों/युवा शिक्षित बेरोजगारों द्वारा संबंधित जिला गव्य विकास पदाधिकारी अथवा निकटतम डेयरी पशु विकास केन्द्र से सम्पर्क कर योजना का लाभ ले सकते हैं।